Problems of Agricultural Labours (Part - B)

भारत में कृषि-श्रमिकों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। सन् 1961 ई० में कृषि-श्रमिकों की संख्या मात्र 3.2 करोड़ थी जो सन् 1981 ई० में बढ़कर 5.6 करोड़ हो गई तथा सन् 1991 ई० में और बढ़कर 7.46 करोड़ तक पहुँच गई। वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 10 करोड़ है।

भारत में कृषि-श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के निम्नांकित कारण हैं :→

(i) कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों की समाप्ति :- गाँवों में पुराने जमाने से चले आ रहे कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों के धीरे-धीरे बन्द हो जाने के कारण इन कुटीर उद्योगों से जुड़े ग्रामीण परिवारों को अन्य रोजगारों की व्यवस्था न होने के कारण अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि मजदूर के रूप में काम करने के लिए विवश होना पड़ा।

(ii) ऋण का भार :→ गाँवों में निवास करने वाले वे कृषक परिवार श्रमिक बन गए जो गाँव के साहूकार एवं महाजन के ऋण भार से अत्यधिक दबे हुए थे।

(iii) अलाभकारी जोतें :→ भारत में अधिकांशतः अलाभकारी जोतें हैं।

Scanned with CamScanner

से प्राप्त होने वाली आय कृषक के सम्पूर्ण परिवार का भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं हो पाती। अतः परिवार के सदस्यों को कृषि-श्रमिक के रूप में कार्य करना पड़ता है।

(iv) जनसंख्या में तेजी से वृद्धि! → देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। देश के गाँवों में रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध न होने के कारण कृषि पर जनसंख्या का दबाव तेजी से बढ़ता जाता है।

भारतीय कृषि-श्रमिकों के सम्मुख निम्नलिखित समस्याएँ हैं! →

1. मौसमी रोजगार एवं बेरोजगारी :→ देश में कृषि-श्रमिकों को सम्पूर्ण वर्ष निरन्तर कार्य न मिलकर केवल मौसम में — फसल बोते समय एवं फसल की कटाई करते समय ही काम मिल पाता है। वर्ष के शेष दिनों में वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं।

2. निम्न जीवन-स्तर तथा ऋण :— भारतीय कृषि-श्रमिकों का जीवन-स्तर बहुत ही निम्न है। इसका प्रमुख कारण उनकी आय का बहुत कम होना है। इसका गलत प्रभाव यह होता है कि श्रमिकों के ऋण-भार में निरन्तर वृद्धि होती जा

रही है।

3. काम के घंटे :→ देश में कृषि-श्रमिकों को 10 घंटे से लेकर 14 घंटे तक काम करना पड़ता है, कभी-कभी तो इससे भी अधिक घंटे तक कार्य करना पड़ता है। उनके काम के घंटे देश के किसी भी कानून या अधिनियम द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं।

4. निवास की समस्या :→ कृषि-श्रमिकों की निवास या घरों की व्यवस्था भी अत्यधिक दयनीय है। उनके घर प्रायः कच्चे होते हैं। वे झोंपड़ियों में रहते हैं। वर्षा ऋतु में उनमें रहना अत्यधिक कष्टप्रद होता है।

5. बेगार :→ यद्यपि श्रमिकों से बेगार लेना कानून की दृष्टि में एक अपराध है, परन्तु यह आज भी प्रचलित है। सेवायोजकों श्रमिकों को ऋण, निवास स्थान एवं अन्य अनेक प्रकार के प्रलोभन आदि देकर उनसे बेगार लेते हैं।

6. स्त्रियों तथा बच्चों का शोषण :→ कृषि कार्यों में अनेक कार्य ऐसे होते हैं, जिनको स्त्रियाँ तथा बच्चे भली प्रकार कर सकते हैं; जैसे- फसल में पानी देना, फसल की निराई व कटाई, धान

की पौध रोपना, धान कूटना आदि। अतः स्त्रियों तथा बच्चों के शोषण को अविलम्ब समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

7. संगठन का अभाव :→ कृषि-श्रमिक प्रायः निर्धन, अशिक्षित एवं अन्धविश्वासी होते हैं। अतः उनको सरलता पूर्वक श्रमिक-संघों में संगठित कर पाना एक अत्यधिक कठिन कार्य है।

कृषि-श्रमिकों की दशा सुधारने हेतु सुझाव:
(1) न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना।

(2) काम के घंटे निश्चित करना।

(3) कृषि-दासता को समाप्त करना।

(4) गृह-स्थान एवं आवास की व्यवस्था।

(5) कुटीर उद्योग-धन्धों का विकास।

(6) भूमि की उचित व्यवस्था करना।

(7) सहकारी समितियों की स्थापना।

(8) कृषि-श्रमिकों का संगठन।

(9) अज्ञानता को दूर करना एवं प्रशिक्षण।

Scanned with CamScanner

कृषि-श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए सरकार की ओर से निम्न प्रयास किए गए हैं :→

1. न्यूनतम मजदूरी निर्धारण।
2. जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण।
3. बँधुआ मजदूरों की समाप्ति।
4. भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास व्यवस्था।
5. ग्रामीण विकास कार्यक्रम।
6. लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास।
7. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम।
9. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना।
10. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
11. पुराने ऋणों से मुक्ति।
12. कृषि-श्रमिक सहकारी समितियाँ।
13. कृषि-श्रमिकों के लिए एजेन्सी समिति।

Scanned with CamScanner

14. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा)।

उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा किया जाता रहा है। किन्तु इस सन्दर्भ में सर्वाधिक दुखद पहलू यह है कि कृषि श्रमिकों की दशाओं में सुधार के लिए जो भी योजनाएँ सरकार द्वारा बनाई गई हैं — उनका क्रियान्वयन निष्ठा और ईमानदारी से नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप आज भी कृषि श्रमिकों की दशा में कोई बहुत अधिक सुखद परिवर्तन नहीं हो पाया है।

Scanned with CamScanner